**राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2026 को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया में सम्पन्न 'रोगी कल्याण समिति' की बैठक कार्यवाही।**

उपस्थितिः-

1. जिला पदाधिकारी, पूर्णिया।
2. प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूर्णिया।
3. अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया।
4. श्रीमती विभा कुमारी, महापौर, नगर निगम पूर्णियाँ।
5. उपाधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ।
6. डा० प्रेम प्रकाश, विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग, रा०चि०महा० एवं अस्पताल, पूर्णियाँ।
7. डा० ओम प्रकाश साह, सदस्य-सह-आई०एम०ए० प्रतिनिधि, पूर्णियाँ।

---

अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूर्णिया की ओर से कार्यावली/प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सभी बिन्दुओं पर समीक्षोपरांत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णिया के समुचित देखभाल तथा मरीजों को सभी आवश्यक सुविधा प्रदान करने हेतु विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया गयाः-

1. सर्वप्रथम अधीक्षक, GMCH को निदेशित किया गया कि अधिकतम 15 दिनों के अंदर रोगी कल्याण समिति के निबंधन हेतु आवश्यक प्रक्रियात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें काफी विलंब हो चुका है जो उचित स्थिति नहीं है।
2. प्राचार्य, GMCH द्वारा बताया गया कि अस्पताल में Teaching Side एवं Hospital side में कतिपय विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन नहीं रहने से कठिनाई हो रही है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि यथासंभव आवश्यकतानुसार विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा Teaching/ चिकित्सकीय कार्य हेतु लिया जा सकता है, बशर्ते कि इस संबंध में किसी विभागीय निदेश का बंधेज न हो। Teaching कार्य हेतु उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को Per Lecture अधिकतम 1000/- रूपये का मानदेय दिया जा सकता है। यदि संगत शीर्ष में राशि न हो तो रोगी कल्याण समिति के निधि से भुगतान किया जा सकता है। इस संबंध में प्राचार्य/अधीक्षक को संयुक्त रूप से निदेशित किया जाता है। केवल यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इसमें कोई विभागीय नियम की अवहेलना न हो।
3. अधीक्षक, GMCH द्वारा बताया गया कि X-ray Technician, Ultrasound Technician नहीं रहने के कारण उक्त कार्य हेतु कठिनाई होती है। विभागीय स्तर पर नियमित/संविदा पर नियुक्ति होने तक पूर्णिया जिलान्तर्गत अन्य अस्पतालों में कार्यरत तकनीकी कर्मियों यथा X-ray Technician, Ultrasound Technician को GMCH में प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया। किन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि उक्त Technician से कार्य लेने पर संबंधित अस्पताल जहाँ वे पदस्थापित है, का कार्य बाधित न हो।
4. MRI Machine अनुपलब्ध है। इस संबंध में अधीक्षक, GMCH द्वारा बताया गया कि विभाग के द्वारा (PPP Mode) लोक निजी साझेदारी पर MRI उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही हो रही है तथा

इसके लिए विभाग से अनुरोध किया गया है। इस संबंध में अधीक्षक, GMCH को निदेश दिया गया कि विभाग से सम्पर्क स्थापित कर इस मामले में यथाशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5. अस्पताल भ्रमण एवं समीक्षा के क्रम में चिकित्सकों को रोगी पर्ची पर दवाओं का नाम सुस्पष्ट लिखने का दिशा-निर्देश दिया गया।

6. जिला पदाधिकारी सह-उपाध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति के द्वारा जिले में उपलब्ध Audiometrist को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ में प्रतिनियुक्त करने के लिए आश्वस्त किया गया।

7. इसके अतिरिक्त रोगी कल्याण समिति के कार्यालय/लेखा कार्यों के सम्पादन हेतु जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को एक योग्य एवं उक्त कार्य में दक्ष कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति का निदेश दिया गया।

8. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि X-ray Machine/CT Scan Machine राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में उपलब्ध है। किन्तु भवन निर्मित नहीं होने के कारण उक्त मशीन क्रियाशील नहीं है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया-सह-उपाध्यक्ष को इस संबंध में BMSCIL एजेंसी से समन्वय स्थापित करते हुए उक्त भवन को यथाशीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

9. रोगी कल्याण समिति के वित्तीय प्रबंधन की देख रेख हेतु श्री कैसर इकबाल, क्षेत्रीय प्रबंधक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को अपने मूल कार्य के अतिरिक्त प्रतिनियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

10. राज्य सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय-3 कार्यक्रम के अंतर्गत 'सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन' के तहत अस्पताल में आने-वाले मरीजों एवं आगन्तुकों की सहायता के लिए अस्पताल में कार्यरत कर्मियों को चिकित्सा मित्र के रूप में चिन्हित किया जाय। चिन्हित कर्मियों को अलग कलर का ड्रेस कोड दिया जाय तथा वे आने वाले मरीजों/आगन्तुकों को आवश्यक सहयोग विशेषकर आकस्मिक सेवाओं के लिए त्वरित सहायता प्रदान करेंगे।

11. यह निर्णय लिया गया कि GMCH में पदस्थापित चिकित्सकों में से उनकी सक्षमता के अनुसार एक मीडिया प्रभारी एवं एक सुरक्षा प्रभारी को अधीक्षक, GMCH नामित करेंगे। नामित पदाधिकारी समय-समय पर सुरक्षा कर्मियों के कार्यों एवं उनकी उपस्थिति की नियमित रूप से जाँच करेंगे तथा मीडिया प्रभारी अस्पताल में घटित किसी घटना के संबंध में मीडिया को अधिकारिक रूप से जानकारी देने का कार्य करेंगे।

12. स्थानीय समाचार पत्रों में GMCH में व्याप्त समस्याओं के संबंध में समाचार प्रकाशित होते रहते है। इसलिए आवश्यक है कि प्रशासनिक स्तर पर अस्पताल के कार्यों की औचक जाँच किसी वरीय पदाधिकारी से कराने हेतु निगरानी समिति का गठन का निर्णय लिया गया। चिकित्सा महाविद्यालय के रोगी कल्याण समिति हेतु संशोधित दिशा-निर्देश, 2023 की कंडिका 2.3 में उक्त कमिटी गठित करने का प्रावधान है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति एक वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी को निगरानी समिति हेतु नामित करने तथा इसमें अन्य गैर सरकारी सदस्यों के रूप में स्थानीय सामाजिक कार्यों में अभिरूचि रखने वाले किसी व्यक्ति को रखने का प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करायेंगे। उक्त प्रस्ताव पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति के स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

बैठक में यह बताया गया कि विगत आम सभा की बैठक दिनांक-01.08.2025 को आयोजित हुई थी जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक-1980 दिनांक-02.08.2025 से निर्गत है। उक्त कार्यवाही के अवलोकनोपरांत यह विदित हुआ कि मेडिकल NGO तथा गैर सरकारी पुरूष/महिला लाभार्थी के चयन हेतु आवश्यक सूचना का विधिवत प्रकाशन नहीं हुआ था। इसमें भविष्य में आपत्ति हो सकती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विधिवत सूचना निर्गत कराते हुए GMCH तथा District NIC के साईट पर प्रकाशित किया जाय। साथ ही इसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाय। आवेदन आमंत्रित करने हेतु 15 दिनों का समय दिया जाए। जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, रोगी कल्याण समिति प्राप्त आवेदनों का स्क्रीनिंग एवं आवश्यक जाँच-पड़ताल कर 03-पुरूष/03-महिला लाभार्थी/03-मेडिकल NGO की अनुशंसा रोगी कल्याण समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त कार्रवाई पूर्ण होने तक वर्तमान में कार्यरत गैर सरकारी प्रतिनिधि कार्यरत रहेंगे।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गयी।

| | | |
|---|---|---|
| 03/2/26 | 03.02.26 | 05/2/2026 |
| अधीक्षक-सह-सदस्य<br>जी.एम.सी.एच.<br>पूर्णिया। | जिला पदाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष<br>पूर्णिया | आयुक्त-सह-अध्यक्ष<br>पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया |

ज्ञापांक 708 / पूर्णियाँ, दिनांक 05/02/2026

प्रतिलिपि :- श्री कैसर इकबाल, क्षेत्रीय प्रबंधक, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डा0 ओम प्रकाश साह, सदस्य-सह-आई0एम0ए0 प्रतिनिधि, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 ऋचा झा, विभागाध्यक्ष, गायनी विभाग, जी0एम0सी0एच0, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- डा0 प्रेम प्रकाश, विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग, जी0एम0सी0एच0, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपाधीक्षक, जी0एम0सी0एच0, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्रीमती विभा कुमारी, महापौर, नगर निगम, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ प्रेषित।

05/02/26

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णिया।

ज्ञापांक 708 / पूर्णियाँ, दिनांक 05/02/2026

प्रतिलिपि :- सचिव, स्वाथ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

05/02/26

आयुक्त के सचिव,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णिया।